न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/228

शंकर लाल आत्मज सालिगराम जाति माली निवासी अर्जुनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
---अपीलान्ट

बनाम

1. परमानन्द आत्मज रामनारायण ।
2. मनफूल आत्मज रामनारायण ।
3. भीमराज आत्मज रामनारायण (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   3/1. लक्ष्मीबाई बेवा भीमराज
   3/2. नीरज पुत्र स्व0 भीमराज ।
   3/3. गोलू पुत्र स्व0 भीमराज नाबालिग जरिये वली माता लक्ष्मी बाई बेवा भीमराज जाति माली निवासीगण अर्जुनपुरा तहसील लाडपुरा ज़िला कोटा ।
4. गायत्री पुत्री रामनारायण ।
5. कस्तूरी बेवा रामनारायण जातियान माली निवासीगण ग्राम अुर्जनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. रूपचन्द आत्मज सालिगराम जाति माली निवासी अर्जुनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री केसरी लाल बैरवा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री संजय शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 15.04.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.07.2012 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 एवं 188 का वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम अर्जुनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर पुराना 670/323 की रकबा 04 बीघा 01 बिस्वा व खसरा नम्बर 672/152 की 07 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि के बाद सेटलमेंट 738 रकबा 0.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 739

रकबा 0.26 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 540 रकबा 1.10 हैक्टर कायम किये गये । सेटलमेंट विभाग को वादीगण की भूमि को कम करने का कोई अधिकार नहीं है । सेटलमेंट द्वारा वादीगण की आराजीयात पुराना दोनों नम्बर का रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा को कम करके नये रकबा 1.55 हैक्टर डाला जाकर 0.33 हैक्टर भूमि कम कर दी तथा प्रतिवादी क्रम 1 के खाते में 0.21 हैक्टर अधिक दर्ज कर दी तथा प्रतिवादी क्रम 2 के 0.12 हैक्टर भूमि अधिक दर्ज कर दी । वादीगण के खाते पुराना खसरा नम्बर 672/152 की 07 बीघा 10 बिस्वा के स्थान पर 1.10 हैक्टर दर्ज करते हुए 0.12 हैक्टर भूमि कम कर दी । प्रतिवादीगण उक्त गलत इन्द्राज की आड में वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा करने के प्रयास में है जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः दावा वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादी क्रम 1 के खाते से 0.21 हैक्टर भूमि कम कर एवं प्रतिवादी क्रम 2 के खाते से 0.12 हैक्टर भूमि कर कर उक्त भूमि वादीगण के खातेदारी में दर्ज कर उक्त भूमि का वादीगण को खातदेार घोषित किया जावे । प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड में वादीगण की खातेदार की भूमि रकबा 0.21 हैक्टर एवं 0.12 हैक्टर प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के खाते में दर्ज हो गयी है पर जबरन ताकत के बल पर वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे व काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे भूमि को खुर्द–बुर्द बेचान नहीं । उक्त कृत्य न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11.07.2012 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.07.2012 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 2 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य एवं सबूत दस्तावेज पेश करने का भी अवसर नहीं दिया गया है । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 5 को यह जानकारी होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार वादी क्रम 4 सरोज पुत्री रामनारायण दौराने विचारण वाद मृत्यु हो चुकी है जिसके कायममुकामान नहीं बनाये जाने के कारण दावा अबेट हेा जाने के बाद अधीनस्थ न्यायालय ने मरे हुए व्यक्ति के पक्षकार होने के बावजूद यह तथ्य छुपाते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुने बिना व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना उक्त निर्णय पारित किया जिसकी सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 17.04.2017 को रेस्पोडेन्ट क्रम 6 की पत्नी नन्दू देवी की मृत्यु हो जाने की गमी में दिनांक 23.04.2017 को बैठे हुए थे तो रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 5 ने सभी परिवारजनों की मौजूदगी में धमकी दी कि हम जल्दी ही निर्णय दिनांक 11.07.2012 की पालना में तुमसे जबरन यह भूमि छीन लेंगे । जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.07.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुने बिना एवं साक्ष्य सबूत पेश किये बिना पारित किया है क्योंकि अपीलान्ट से उनके अधिवक्ता ने कह रखा था कि आपको

तारीख पेशी पर आने की जरूरत नहीं है जब भी आपकी जरूरत होगी मैं आपको सूचित कर दूँगा परन्तु उन्होंने अपीलान्ट को उक्त निर्णय की कोई जानकारी नहीं दी । उक्त निर्णय एंव डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 23.04.2017 को रेस्पोडेन्ट कम 6 की पत्नी की मौत हो जाने पर गमी में दिनांक 23.04.2017 को धमकी देने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील पेश करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

9. हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में नामान्तरकरण संख्या 435 की प्रमाणित प्रति हे जो दिनांक 24.02.2012 को खोला गया है । यह नामान्तरकरण सरोज की मृत्यु हो जाने पर खोला गया है । उक्त दस्तावेज नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति है और प्रकरण से सम्बन्धित है । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की जो शामिल मिसल की गई । अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण रेस्पोडेन्ट ने एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जिसमें यह कथन किया कि सेटलमेंट विभाग ने वादीगण के खाते की आराजी कम कर दी है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था । इस कारण दावा स्वीकार कर वादीगण के खाते के रकबे को पूर्ण किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय से दावा डिक्री किया है । परीक्षण न्यायालय में अपीलान्ट और रेस्पोडेन्ट कम 6 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया था । तहसीलदार को मौका कमीश्नर नियुक्त किया था । मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का से मंगवायी गई । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया गया । वादी कम 4 सरोज पुत्री रामनारायण की दौराने वाद मृत्यु हो चुकी थी उनके कायममुकामान रिकॉर्ड पर नहीं लिये गये । दावा अबेट होने योग्य था फिर भी दावा डिक्री किया गया है । अपीलान्ट ने आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ जो दस्तावेज पेश किये हैं उसके अनुसार सरोज की मृत्यु डिक्री पारित होने से पूर्व हो गई थी । अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अभिभाषक के द्वारा समय पर नहीं दी गई इसलिए अपील विलम्ब से पेश की गई है । मौका कमीश्नर ने मौके पर अपीलान्ट को नहीं बुलाया । वादी के द्वारा जो दावा पेश किया गया था उसमें अपीलान्ट शंकर लाल के खाते से 0.12 हैक्टर आराजी की पूर्ति की प्रार्थना की थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने 0.20 हैक्टर आराजी अपीलान्ट के खाते से कम कर दी है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.07.2012 निरस्त फरमाया जावे । अपीलान्ट के अभिभाषक ने कह रखा था कि आपको प्रत्येक तारीख पेशी पर आने की जरूरत नहीं है । जब भी आपकी जरूरत होगी आपको सूचित कर दूँगा लेकिन अपीलान्ट को अपने अधिवक्ता

ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की कोई सूचना नहीं दी । उक्त अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 23.04.2017 को हुई । अधीनस्थ न्यायालय में नक्शा मौका पेश नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के द्वारा जवाबदावा में दावे को अस्वीकार किया गया था और सम्पूर्ण आराजी की पैमाईश की मांग की थी । दावा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गया था और पुनः दिनांक 1002.2012 को रेस्टोर हुआ और रेस्टोर होने के तुरन्त बाद दावा निर्णित कर दिया । अपीलान्ट के अभिभाषक ने घोर लापरवाही की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2008 (2) पेज 1406, आरआरटी 2009 (2) पेज 467, आरएलडब्ल्यू 2006 (1) पेज 276, आरआरटी 2017 (2) पेज 1047 उद्धरत की ।

11. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि निर्णय दिनांक 11.07.2012 का है जिसके खिलाफ अपील दिनांक 10.05.2017 को पेश की गई है जो गंभीर रूप से अवधि बाधित है । अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट के अभिभाषक उपस्थित रहे हैं और बहस की है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के द्वारा इतने विलम्ब से अपील पेश किया जाना आपत्तिजनक है यदि उनके अभिभाषक ने उनको निर्णय की जानकारी नहीं दी तो अपीलान्ट की भी जिम्मेदारी थी कि अपने अभिभाषक से सम्पर्क करते । 05 वर्ष से अपने अभिभाषक से सम्पर्क नहीं करने का कोई उचित कारण भी नहीं बताया है । वादीगण में से किसी एक वादीगण की मृत्यु हो चुकी थी तो ऐसी स्थिति में इसके बाबत् आपत्ति उनके वारिसान कर सकते हैं । अपीलान्ट को इस बाबत् आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है । वादीगण सहखातेदार हैं जिनमें से एक सहखातेदार की मृत्यु हुई है इसके आधार पर दावा खारिज नहीं किया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट प्राप्त कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है । निर्णय रिकॉर्ड के आधार पर पारित किया गया है । अपीलान्ट की आराजी कम नहीं की गई है । 02 प्रतिवादी थे जिनमें से रूपचन्द ने अपील नहीं की है । अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.07.2012 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथनों के सर्मन में आरआरटी 2011 (2) पेज 851, आरआरटी 2007 (2) पेज 939, आरएलडब्ल्यू 2006 (2) राज0 पेज 873 उद्धरत की ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया था । दावे के समर्थन में उनके द्वारा नकल जमाबन्दी संवत् 2035–38 प्रदर्श –पी–1 पेश की है जिसमें रामनारायण पुत्र सालिगराम के खाते में कुल 07 किता की 17 बीघा 10 बिस्वा आराजी दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2040 से 2043 प्रदर्श– पी–2 के अनुसार कुल 08 किता की 2.56 हैक्टर भूमि परमानन्द, मनफूल, भीमराज, रामनारायण मु0 कस्तूरी पत्नी रामनारायण, सरोज, गायत्री पुत्री रामनारायण के खाते में दर्ज है । प्रदर्श– पी– 3 नकल मिलान क्षेत्रफल है, प्रदर्श– पी–4 प्रतिवादी कम 2 के खाते की नकल *जमाबन्दी संवत् 2035–38 है जिसके अनुसार कुल 07 किता की 15 बीघा 14 बिस्वा आराजी* प्रतिवादी कम 2 अपीलान्ट के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2050 से 2053 प्रदर्श– पी– 5 संलग्न है जिसके अनुसार कुल 17 किता की 2.91 हैक्टर भूमि प्रतिवादी कम 2 अपीलान्ट के खाते में दर्ज है । प्रदर्श– पी–6 नकल मिलान क्षेत्रफल है । प्रदर्श– पी–7 नकल जमाबन्दी संवत् 2035–38 संलग्न है जिसके अनुसार कुल 07 किता की 15 बीघा 12 बिस्वा आराजी प्रतिवादी कम 1 रूपचन्द के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2050 से 2054 प्रदर्श– पी–8 है जिसके अनुसार रूपचन्द के खाते में कुल 11 किता की 2.72 हैक्टर

आराजी दर्ज है । प्रदर्श–पी–9 मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति है । पत्रावली पर रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 29.07.2009 भी संलग्न है ।

13. पत्रावली पर बयान परमानन्द पीडब्ल्यू–1 शमिल मिसल हैं ।

14. अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी अपीलान्ट के अभिभाषक उपस्थित रहे हैं उनके द्वारा बहस भी की गई है और दिनांक 11.07.2012 के निर्णय की अपील उनके द्वारा दिनांक 10.05.2017 को की गई है जो गंभीर रूप से अवधि बाधित है । धारा 05 के प्रार्थना पत्र में उनके द्वारा यह कथन किया गया है कि अभिभाषक ने उन्हें निर्णय की समय पर जानकारी नहीं दी इस कारण उन्हें निर्णय की समय पर जानकारी नहीं हुई, विलम्ब का यह कारण संतोषप्रद प्रतीत नहीं होता है क्योंकि उनके अभिभाषक ने उन्हें जानकारी नहीं दी तो उनका भी यह कर्तव्य बनता था कि वो अपने अभिभाषक से सम्पर्क करते । पांच वर्ष तक अभिभाषक से सम्पर्क नहीं करना अपीलान्ट की लापरवाही को दर्शाता है इस कारण हम विलम्ब का शमन करना उचित नहीं समझते हैं । विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारा उद्धरत नजीर आरआरटी 2011 (2) पेज 851, आरआरटी 2007 (2) पेज 939 यहॉ चस्पा होती हैं ।

15. जहॉ तक वादीगण में से किसी एक वादी की दौराने वाद मृत्यु का प्रश्न है इसके बाबत् आपत्ति करने का अपीलान्ट प्रतिवादी को कोई अधिकार नहीं है और वादीगण में से किसी एक वादी की मृत्यु हो जाने से दावा अबेट नहीं माना जा सकता । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट ने यह आपत्ति अधीनस्थ न्यायालय में नहीं की । यही नहीं अपील में भी जानकारी होने के बाद भी सरोज के कायम मुकामान को अपीलान्ट ने पक्षकार नहीं बनाया है जिनसे Non Joinder of the necessary party के नुक्स की वजह से उनकी अपील मेन्टेनेबल नहीं है ।

16. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी कम 1 व 2 में से मात्र प्रतिवादी कम 2 शंकर लाल ने यह अपील पेश की है और शंकर लाल के खाते की जो नकल जमाबन्दी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रदर्श–पी–4 संलग्न है जिसके अनुसार उनके खाते में सेटलमेंट से पूर्व 07 किता की 15 बीघा 14 बिस्वा आराजी दर्ज थी और सेटलमेंट के बाद प्रदर्श–पी–5 के अनुसर उनके खाते में 17 किता की 2.91 हैक्टर आराजी दर्ज की गई है। इस प्रकार इन दोनों जमाबन्दियों के अवलोकन से भी यह प्रमाणित होता है कि उनके खाते में दर्ज आराजी का रकबा बढा है । इस प्रकार गुणावगुण के आधार पर भी अपील सारहीन प्रतीत होती है ।

17. इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने एवं गुणावगुण के आधार पर सारहीन होने से की खारिज की जाती है । *अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक* 11.07.2012 बहाल रखा जाता है ।

18. निर्णय आज दिनांक 15.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15.4.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 17/228

शंकर लाल आत्मज सालिगराम जाति माली निवासी अर्जुनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
——**अपीलार्थी**

बनाम

1. परमानन्द आत्मज रामनारायण ।
2. मनफूल आत्मज रामनारायण ।
3. भीमराज आत्मज रामनारायण (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   3/1. लक्ष्मीबाई बेवा भीमराज
   3/2. नीरज पुत्र स्व0 भीमराज ।
   3/3. गोलू पुत्र स्व0 भीमराज नाबालिग जरिये वली माता लक्ष्मी बाई बेवा भीमराज जाति माली निवासीगण अर्जुनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. गायत्री पुत्री रामनारायण ।
5. कस्तूरी बेवा रामनारायण जातियान माली निवासीगण ग्राम अुर्जनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. रूपचन्द आत्मज सालिगराम जाति माली निवासी अर्जुनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा ।

——**प्रत्यर्थी**

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.07.2012 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा ।

वाद संख्याः 39/दावा/2012

1. परमानन्द आत्मज रामनारायण ।
2. मनफूल आत्मज रामनारायण ।
3. भीमराज आत्मज रामनारायण ।
4. गायत्री पुत्री रामनारायण ।
5. कस्तूरी बेवा रामनारायण जातियान माली निवासीगण ग्राम अुर्जनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

--वादी

बनाम

1. रूपचन्द आत्मज सालिगराम जाति माली निवासी अर्जुनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. शंकर लाल आत्मज सालिगराम जाति माली निवासी अर्जुनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

--प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.07.2012 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात... कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई ज़ावे ।

यह अपील तारीख 15.04.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री केसरी लाल बैरवा एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री संजय शर्मा के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने एवं गुणावगुण के आधार पर सारहीन होने से की खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.07.2012 बहाल रखा जाता है ।

इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 15.04.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

15/4/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा